भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *261

उत्तर देने की तारीख 18.12.2025

उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति का उत्थान

***261. श्री राम शिरोमणि वर्मा:**

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के थारू जनजाति बहुल वन क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशेष योजना बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय छात्रों के छात्रावासों अथवा छात्रवृत्ति योजनाओं के विस्तार के लिए कोई स्वीकृति प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या थारू जनजातीय समुदाय आधारित हस्तशिल्प, लघु वन उत्पाद (एमएफपी), स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और आजीविका समूहों को सशक्त बनाने/सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन में स्थानीय ग्राम पंचायतों, वन समितियों और जनजातीय संगठनों को भागीदारी दी जा रही है/वे भागीदारी कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए कल्याणकारी कार्यों, कार्याधीन परियोजनाओं और आगामी प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री जुएल ओराम)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

''उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति का उत्थान" के संबंध में दिनांक 18.12.2025 को लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 261 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): सरकार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के थारू बहुल वन क्षेत्रों सहित देश भर में जनजातीय समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" (डीएजेजीयूए) नामक एक विशेष बृहद (मेगा) बहु-क्षेत्रीय मिशन की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) सहित 17 मंत्रालयों के 25 उपायों के साथ योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से जनजातीय गांवों में जनजातीय आबादी का समग्र और सतत विकास करना है। मिशन का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में और कौशल सुधार करना है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों क्रमश: 16 और 2 गांवों सहित 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जनजातीय बहुल गांवों के 549 जिलों के कुल 63,843 गांवों और 2,911 ब्लॉकों को सम्मिलित करता हैं।

(ख): केंद्रीय बजट 2018-19 में, भारत सरकार ने घोषणा की कि, जनजातीय बच्चों को उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना की जाएगी। ईएमआरएस खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाओं के साथ नवोदय विद्यालयों के समान होगें। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस), एक स्वायत्त संगठन की स्थापना राज्य ईएमआरएस समितियों के साथ समन्वय में ईएमआरएस की योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में कोई भी ईएमआरएस स्वीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि इनके कोई भी ब्लॉक निर्धारित दोहरे मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश के थारू बहुल वन क्षेत्रों में शिक्षा के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने का प्रस्ताव नहीं कर रहा है। हालांकि, यह उत्तर प्रदेश सहित देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी के बीच बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रहा है:

i) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)
ii) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)
iii) अजजा छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।
iv) अजजा छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)
v) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" (डीएजेजीयूए) के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदन दिया है।

क्र.सं.	उपाय	जिला	इकाई	अनुमोदित निधि
1	आवासीय विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी (स्टॉफ) आवास	श्रावस्ती	1	175
2	आश्रम/जनजातीय क्षेत्र स्कूल में शौचालय परिसर का निर्माण	बलरामपुर	3	60
3	आश्रम/जनजातीय क्षेत्र स्कूल में शौचालय परिसर का निर्माण	श्रावस्ती	1	20

(ग): जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (टीएमएमसी) डीएजेजीयूए के तहत 25 प्रमुख उपायों में से एक हैं। टीएमएमसी विशेष रूप से जनजातीय कल्याण के आर्थिक और विपणन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जनजातीय समुदायों के अद्वितीय उत्पाद बाजार में सफल हो सकें। टीएमएमसी कौशल विकास और उद्यमिता प्रयासों को पूरा करने में मदद करते हैं। मंत्रालय ने डीएजेजीयूए के तहत उत्तर प्रदेश में 100 लाख रुपये की राशि के एक टीएमएमसी को मंजूरी दी है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) का संचालन करता है, जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहलों को सुदृढ़ करना और आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। वीडीवीके के तहत जनजातीय लाभार्थियों को मूल्य संवर्धन, उद्यमिता जागरूकता और विकास से संबंधित प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाता है जो उन्हें प्रचलित बाजार मानकों के अनुसार अपने उत्पादों को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करता है, जिसमें व्यक्तिगत जनजातीय कारीगर, जनजातीय स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) समूह, प्रतिष्ठित एनजीओ, सरकारी एजेंसियां आदि शामिल हैं जो जनजातीय कारीगरों के साथ काम करते हैं।

दिनांक 31.03.2025 तक कुल 5927 आपूर्तिकर्ताओं/उत्पादकों को ट्राइफेड के साथ सूचीबद्ध किया गया है, जो 3,05,485 परिवारों से जुड़े हैं। ट्राइफेड ने देश भर के 132 थारू जनजातीय कारीगरों को सूचीबद्ध किया है, जो 2716 परिवारों से जुड़े हुए हैं। इसमें बलरामपुर में 01 सूचीबद्ध थारू जनजातीय कारीगर शामिल हैं, जो 10 परिवारों से जुड़ा है।

(घ): वन अधिकार अधिनियम, 2006 सहित संबंधित अधिनियमों और योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों, वन अधिकार समितियों, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों और जनजातीय संगठनों की भागीदारी शामिल है। वन अधिकार धारकों को पूरी तरह से विभिन्न योजनाओं के लाभ तेजी से दिलाने के लिए, डीएजेजीयूए के तहत अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय ने एफआरए के तहत संभावित क्षेत्र का मानचित्रण (मैपिंग), विरासत डेटा और दावा प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआर) प्रबंधन योजनाओं की तैयारी और निष्पादन के लिए ग्राम सभा को सहायता और एफआरए के तहत पूरक दावा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दो साल की अवधि के लिए राज्य और जिला/उपखंड स्तरों पर समर्पित एफआरए प्रकोष्ठों की स्थापना जैसी कई पहलें की हैं। मंत्रालय कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग की कई योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से एफआरए पट्टा धारकों की सहायता भी करता है, जहां संबंधित योजना दिशानिर्देशों को लाभार्थी को आवश्यकतानुसार केवल 10% तक सीमित करने के लिए संशोधित किया गया है। एमओटीए ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को एफआरए सेल की स्थापना के लिए बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों सहित 34.52 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की है।
उत्तर प्रदेश में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत, ग्राम पंचायतों, वन समितियों और जनजातीय संगठनों को विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से सक्रिय रूप से शामिल किया गया है, जहां सामुदायिक जरूरतों की पहचान की गई है और उन्हें ग्राम सभा के प्रस्तावों के रूप में अपनाया गया है। जनजातीय संगठन, एसएचजी और प्रशिक्षित आदि साथी एवं सहियोगी समुदाय के नेतृत्व में कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए लामबंदी, सुविधा और अनुवर्ती कार्रवाई का सहायता करते हैं।

(ङ): मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2024 में डीएजेजीयूए की शुरूआत के बाद से डीएजेजीयूए के तहत राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में किए गए कल्याणकारी कार्यों में आश्रम/जनजातीय क्षेत्र के स्कूलों में शौचालय परिसर का निर्माण, आवासीय विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी (स्टाफ) आवास, एफआरए प्रकोष्ठ, टीएमएमसी, एससीडी जागरूकता एवं परामर्श/आशा मानदेय + टीओटी शामिल हैं।

डीएजेजीयूए के तहत विभिन्न उपायों की वास्तविक प्रगति का विवरण **अनुलग्नक 1** में दिया गया है।

दिनांक 18.12.2025 के तारांकित प्रश्न संख्या 261 के उत्तर के भाग (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक 1

(क): उत्तर प्रदेश में डीएजेजीयूए उपायों की जिले-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	उपाय	जिला	इकाई	अनुमोदित निधि
1	उ.प्र.	आवासीय विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी (स्टाफ) आवास	श्रावस्ती	1	175
2	उ.प्र.	आवासीय विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी (स्टाफ) आवास	बहराइच	1	175
3	उ.प्र.	आवासीय विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी (स्टाफ) आवास	बिजनौर	1	175
4	उ.प्र.	आश्रम/जनजातीय क्षेत्र के स्कूल में शौचालय परिसर का निर्माण	लखीमपुर खीरी	4	80
5	उ.प्र.	आश्रम/जनजातीय क्षेत्र के स्कूल में शौचालय परिसर का निर्माण	बलरामपुर	3	60
6	उ.प्र.	आश्रम/जनजातीय क्षेत्र के स्कूल में शौचालय परिसर का निर्माण	बहराइच	1	20
7	उ.प्र.	आश्रम/जनजातीय क्षेत्र के स्कूल में शौचालय परिसर का निर्माण	श्रावस्ती	1	20
8	उ.प्र.	आश्रम/जनजातीय क्षेत्र के स्कूल में शौचालय परिसर का निर्माण	महाराजगंज	2	40
9	उ.प्र.	टीएमएमसी	वाराणसी	1	100

ख) : डीएजेजीयूए के अंतर्गत संबंधित मंत्रालयों की राज्य-वार प्रगति

1. **ग्रामीण विकास मंत्रालय- पीएमएवाई (जी)**

राज्य का नाम	स्वीकृत	पूर्ण
आंध्र प्रदेश	1	1376
अरुणाचल प्रदेश	0	780
असम	54590	67245
बिहार	17	215
छत्तीसगढ़	306967	161927
दादरा और नगर हवेली	0	1191
दमन और दीव	0	8
गोवा	0	0
गुजरात	73341	61756

राज्य का नाम	स्वीकृत	पूर्ण
हिमाचल प्रदेश	2345	975
जम्मू और कश्मीर	21	18468
झारखंड	55126	4120
कर्नाटक	11485	1969
केरल	670	117
लद्दाख	0	0
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	283512	101688
महाराष्ट्र	335850	59073
मणिपुर	152	4158
मेघालय	0	39115
मिजोरम	0	6697
नागालैंड	0	16430
ओडिशा	17563	84304
राजस्थान	129214	29358
सिक्किम	0	8
तमिलनाडु	110	453
त्रिपुरा	0	10411
उत्तर प्रदेश	0	65
उत्तराखंड	0	23
पश्चिम बंगाल	0	297
कुल योग	**1270964**	**672227**

2. जल शक्ति मंत्रालय

राज्य	कुल डीएजेजीयूए गाँव	स्वीकृत	संतृप्त
अरुणाचल प्रदेश	321	321	321
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	76	76	76
गोवा	25	25	25
गुजरात	4247	4247	4247
हिमाचल प्रदेश	264	264	264
लक्षद्वीप	2	2	2
मिजोरम	379	379	379
तेलंगाना	909	909	909
बिहार	707	698	678
उत्तराखंड	128	128	106
नागालैंड	606	605	493

राज्य	कुल डीएजेजीयूए गाँव	स्वीकृत	संतृप्त
सिक्किम	119	119	92
लद्दाख	143	143	110
तमिलनाडु	114	114	81
उत्तर प्रदेश	517	516	358
मेघालय	1432	1428	953
कर्नाटक	1082	1080	640
महाराष्ट्र	4952	4929	2699
ओडिशा	7537	7494	3531
असम	3083	3005	1375
मध्य प्रदेश	11309	11228	4733
जम्मू एवं कश्मीर	387	387	113
झारखंड	7107	7039	1786
मणिपुर	509	508	117
आंध्र प्रदेश	868	867	199
छत्तीसगढ़	6681	6677	1413
पश्चिम बंगाल	3191	3179	594
राजस्थान	5898	5709	1031
त्रिपुरा	353	353	37
केरल	89	89	0
कुल योग	**63035**	**62518**	**27362**

3. दूरसंचार विभाग

क्र.सं.	राज्य	कवर किए जाने वाले गांव	लंबित सर्वेक्षण और मुद्दे	पहले ही कवर किए गए	डीबीएन योजनाओं के तहत नियोजित गांव	डीबीएन योजनाओं में कवर किए गए गांव	कवर किए गए कुल गाँव
		क	ख	ग	घ	ङ	च=(ङ +ग)
1	आंध्र प्रदेश	287	17	35	235	216	251
2	अरुणाचल प्रदेश	77	6	14	57	34	48
3	असम	224	26	55	143	113	168
4	बिहार	38	3	1	34	28	29
5	छत्तीसगढ़	513	50	85	378	220	305
6	गोवा	10	2	1	7	3	4
7	गुजरात	162	9	20	133	99	119
8	हिमाचल प्रदेश	32		2	30	24	26

क्र.सं.	राज्य	कवर किए जाने वाले गांव	लंबित सर्वेक्षण और मुद्दे	पहले ही कवर किए गए	डीबीएन योजनाओं के तहत नियोजित गांव	डीबीएन योजनाओं में कवर किए गए गांव	कवर किए गए कुल गाँव
		क	ख	ग	घ	ङ	च=(ङ +ग)
9	जम्मू और कश्मीर	10	1		9		
10	झारखंड	238	3	51	184	131	182
11	कर्नाटक	19	1	3	15	8	11
12	लद्दाख	18		1	17	10	11
13	लक्षद्वीप	1			1	1	1
14	मध्य प्रदेश	776	24	72	680	402	474
15	महाराष्ट्र	954	101	194	659	428	622
16	मणिपुर	104	6	50	48	11	61
17	मेघालय	98	1	78	19	9	87
18	मिजोरम	54	10	23	21	9	32
19	नगालैंड	124		2	122	69	71
20	ओडिशा	874	34	83	757	459	542
21	राजस्थान	337	15	54	268	183	237
22	सिक्किम	1		1			1
23	तमिलनाडु	87		3	84	78	81
24	तेलंगाना	62	1	5	56	32	37
25	त्रिपुरा	81	1	10	70	58	68
26	उत्तर प्रदेश	53	4	3	46	29	32
27	उत्तराखंड	12	1	6	5	5	11
28	पश्चिम बंगाल	6		1	5	1	2
कुल		**5252**	**316**	**853**	**4083**	**2660**	**3513**

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय- पीएमजीएसवाई

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	संभावित (अनंतिम) डीए-जेजीयूए लंबाई (किमी)	प्रस्ताव की स्थिति (चरण: डीपीआर जांच/प्री-ईसी/एफसी, आदि)
1	जम्मू और कश्मीर	266.301	05.06.2025 को स्वीकृत किया गया

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	संभावित (अनंतिम) डीए-जेजीयूए लंबाई (किमी)	प्रस्ताव की स्थिति (चरण: डीपीआर जांच/प्री-ईसी/एफसी, आदि)
2	छत्तीसगढ़	1,499.757	एचएमआरडी द्वारा फाइल अनुमोदित। निर्गम (निकासी) पत्र जारी किया जाएगा
3	हिमाचल प्रदेश	254.625	फ़ाइल एचएमआरडी के पास
4	सिक्किम	35.47	प्री-ईसी बैठक 22.08.2025 को आयोजित
5	राजस्थान	324.515	फ़ाइल एचएमआरडी के पास
6	मध्य प्रदेश	1,158.51	प्री-ईसी बैठक 28.10.2025 को आयोजित
7	ओडिशा	785.81	प्री-ईसी बैठक 08.10.2025 को आयोजित
8	असम	368.36	प्री-ईसी बैठक 03.11.2025 को आयोजित
	कुल	**4,722.968**	

5. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत एडब्ल्यूसी	संचालित आंगनवाड़ी केंद्र
1	राजस्थान	135	134
2	तमिलनाडु	3	3
3	मिजोरम	41	-
4	बिहार	45	42
5	असम	49	-
6	आंध्र प्रदेश	177	-
7	झारखंड	50	-
8	कर्नाटक	164	164

क्र.सं.	**राज्य**	**स्वीकृत एडब्ल्यूसी**	**संचालित आंगनवाड़ी केंद्र**
9	मध्य प्रदेश	66	66
10	मेघालय	26	-
11	त्रिपुरा	119	-

6. विद्युत मंत्रालय

क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**वास्तविक प्रगति**		
		स्वीकृत एचएच और पीआई (संख्या)	**विद्युतीकरण की प्रगति (संख्या)**	**विद्युतीकरण का %**
1	आंध्र प्रदेश	5,103	3,897	**76%**
2	अरुणाचल प्रदेश	1,947	719	**37%**
3	बिहार	7,117	415	**6%**
4	छत्तीसगढ़	39,579	4,893	**12%**
5	हिमाचल प्रदेश	100	1	**1%**
6	जम्मू एवं कश्मीर	13,824	0	**0%**
7	झारखंड	21,377	0	**0%**
8	कर्नाटक	5,288	662	**13%**
9	केरल	1,097	195	**18%**
10	मध्य प्रदेश	59,822	5,043	**8%**
11	महाराष्ट्र	6,961	5,228	**75%**
12	राजस्थान	83,037	0	**0%**
13	तेलंगाना	27,197	10,502	**38.6%**
14	त्रिपुरा	8,189	2,285	**28%**
15	उत्तर प्रदेश	6,897	58	**1%**
16	उत्तराखंड	226	134	**59%**
	कुल (क)	**287,761**	**34,032**	**11.83%**

7. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत कौशल केंद्र	जिलों के नाम
1	बिहार	1	पश्चिम चंपारण
2	छत्तीसगढ़	10	बस्तर
			सरगुजा
			कोंडागांव
			सुकमा
3	गुजरात	3	वलसाड़
			सूरत
4	झारखंड	6	रांची
			सिमडेगा
			दुमका
5	कर्नाटक	1	रायचूर
6	मध्य प्रदेश	10	धार
			मंडला
			डिंडोरी
			रतलाम
7	उत्तर प्रदेश	1	सोनभद्र

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

राज्य का नाम	**कुल एमएमयू संचालित**	**जिले का नाम**	**एमएमयू की संख्या**
आंध्र प्रदेश	**13**	एलुरु	3
		कुरनूल	3
		नांदयाल	1
		पालनाडु	4
		प्रकाशम	1
		तिरुपति	1
छत्तीसगढ़	**4**	धमतरी	4
गुजरात	**28**	अहमदाबाद	1
		डांग	1
		देवभूमि द्वारका	1
		दाहोद	3

राज्य का नाम	कुल एमएमयू संचालित	जिले का नाम	एमएमयू की संख्या
		नर्मदा	7
		नवसारी	7
		साबर कंठा	4
		सूरत	1
		तापी	3
जम्मू और कश्मीर	**1**	अनंतनाग	1
झारखंड	**5**	गिरिडीह	5
केरल	**4**	मलप्पुरम	1
		पलक्कड़	3
लद्दाख	**1**	कारगिल	1
मध्य प्रदेश	**2**	गुना	2
महाराष्ट्र	**4**	नासिक	4
नागालैंड	**2**	कोहिमा	1
जम्मू और कश्मीर		पेरेन	1
ओडिशा	**21**	गजपति	2
		जाजपुर	1
		केंदुझार	4
		मल्कानगिरी	9
		रायगढ़	5
तमिलनाडु	**4**	धर्मपुरी	1
		डिंडीगुल	1
		थेनी	1
		तिरुचिरापल्ली	1
तेलंगाना	**4**	कुमुराम भीम आसिफाबाद	4
त्रिपुरा	**6**	धलाई	1
		गोमती	1
		खोवाई	1
		उत्तरी त्रिपुरा	1
		दक्षिण त्रिपुरा	1
		उनाकोटी	1
कुल	**99**		

9. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्वीकृत	आधारशिला रखी गई	निर्माण की स्थिति
1	असम	209	209	कोई प्रगति नहीं
2	मध्य प्रदेश	104	0	टेंडरिंग के अधीन
3	राजस्थान	58	0	पहली किस्त के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
4	अरुणाचल प्रदेश	45	14	14 छात्रावास कुरसी (प्लिंथ) स्तर तक
5	मणिपुर	44	16	कोई प्रगति नहीं
6	छत्तीसगढ़	42	0	कोई प्रगति नहीं
7	ओडिशा	40	0	टेंडरिंग के अधीन
8	नागालैंड	23	23	कोई प्रगति नहीं
9	महाराष्ट्र	22	0	पहली किस्त के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
10	बिहार	19	19	पहली किस्त के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
11	त्रिपुरा	15	6	कोई प्रगति नहीं
12	कर्नाटक	14	0	टेंडरिंग के अधीन
13	मिजोरम	13	0	पहली किस्त के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
14	तेलंगाना	10	8	आधार (ग्राउंडवर्क) तक 4 छात्रावास
15	गुजरात	9	0	प्रतिबद्धताएं (वचन पत्र) लंबित हैं
16	झारखंड	5	2	प्रतिबद्धताएं (वचन पत्र) लंबित हैं
17	सिक्किम*	5	5	कुरसी (प्लिंथ) स्तर तक 4 छात्रावास और 1 में पहाड़ी कटाई का काम
18	आंध्र प्रदेश	4	2	प्रतिबद्धताएं (वचन पत्र) लंबित हैं
19	उत्तर प्रदेश	3	3	कोई प्रगति नहीं
20	उत्तराखंड	3	0	पहली किस्त के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
21	हिमाचल प्रदेश	2	2	
22	केरल	2	0	
23	लद्दाख	1	0	

*****